Indian J. Soc. & Pol. 12 (02):113-116: 2025
31 JULY 2025
ISSN: 2348-0084 (PRINT)
ISSN: 2455-2127(ONLINE)

मनरेगा में महिला भागीदारी : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्रेम प्रकाश पाण्डेय[1], पवन कुमार पाण्डेय[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी0जी0 कालेज, बभनान, गोण्डा (उ0प्र0), भारत
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी0जी0 कालेज, बभनान, गोण्डा (उ0प्र0), भारत

ABSTRACT

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेकयोजनाएँ चलाई हैं। 'काम के बदले अनाज योजना (1977), ट्राइसेम (1979), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (1980), ड्वाकरा (1982–83), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1983) जवाहर रोजगार योजना (जे0आर0वाई0) (1989), सिटरा कार्यक्रम (1992) शुरू किया गया। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार प्रदान करने तथा उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 1999 को पिछली 6 स्कीमों आई0आर0डी0पी0, ट्राइसेम, ड्वाकरा, सिटरा, ग्रा0क0यो0 तथा एम0डब्ल्यू0एस0 को मिलाकर स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना शुरू की गई। ग्रामीण बेरोजगारों को संपूर्ण रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 25 सितम्बर, 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई। इसी क्रम में ग्रामीण अकुशल बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005' (नरेगा) को लाया गया। यू तो प्रत्येक योजना की व्यापक समीक्षा की गयी है और की जानी चाहिए किन्तु संसाध्नों की सीमा में रहते हुए मनरेगा में महिला भागीदारी को अध्ययन के केन्द्र बनाया गया है। जिसके निष्कर्ष प्रस्तुत शोध पत्र में प्रस्तुत हैं।

KEYWORDS: *महिला, मनरेगा, महिला भागीदारी, रोजगार गारंटी*

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की शुरूआत आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के बादुलापल्ली गॉव में ग्रामीण अकुशल बेरोजगारों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 02 फरवरी, 2006 को शुरू की गई है। प्रारम्भिक चरण में यह योजना देश के सर्वाधिक 200 पिछड़े जिलों में शुरू की गयी।(कुरूक्षेत्र अगस्त 2006, पृ0 6–7) सन् 2007–08 के इसके दूसरे चरण में इसे देश के 130 और जिलों में लागू किया गया। 01 अप्रैल 2008 से शुरू इसके तीसरे चरण में इसे भारत के बाकी बचे सभी ग्रामीण जिलों में लागू किया गया।(वही) नरेगा से पहले भारत में सरकार द्वारा चलाए गए रोजगार गारंटी कार्यक्रम का एकमात्र उदाहरण महाराष्ट्र रोजगार गारंटी स्कीम है। महाराष्ट्र में वर्ष 1970–73 के दौरान भयंकर सूखा पड़ा था। इसी प्रतिकूल हालात में गरीबी उन्मूलन के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पहले जो लोक रोजगार के कार्यक्रम चलाये गये थे उन सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ था। (www.nrega.nic.in)

मनरेगा में महिला भागीदारी

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार भारत की आबादी एक अरब इक्कीस करोड़ हो गई है, जिसमें से 58.64 करोड़ महिलायें हैं। ऐसे में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाए बिना सशक्त भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदियों से चली आ रही व्यवस्था के तहत कामकाजी महिलाओं की संख्या काफी कम है। केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का विशेष निर्देश दिया गया है। सरकार ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए विभिन्न योजनाओं में यह निर्धारित कर दिया है कि महिलाओं को संबंधित योजना का लाभ देना अनिवार्य है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अधिकार सम्पन्न बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। महिलाओं की दक्षता में सुधार के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय तो सक्रिय भूमिका निभा ही रहा है। यद्यपि मनरेगा का वास्तविक उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं है परन्तु इसके कुछ प्रावधान जैसे कि योजना में कार्य करने वाली 33 प्रतिशत महिलायें होगीं, पुरूषों और महिलाओं को समान मजदूरी का प्रावधान, महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए पालनाघर की व्यवस्था का प्रावधान करना यह दर्शाता है कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाने की रही है। मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार के अवसर से महिलायें बड़ी संख्या में लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 2006–07 में कुल व्यक्ति दिवस में महिलाओं का राष्ट्रीय औसत 40.65 प्रतिशत था(इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, XLV,नं0 30, पृ0 45) जो वर्ष 2021–22 में (दिनांक 09.11.2021 तक) बढ़कर 54.09 प्रतिशत हो गया जो योजना के 33 प्रतिशत प्रावधान से कहीं ज्यादा है।

तालिका 1 में मनरेगा के अन्तर्गत प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में राज्यवार महिलाओं की भागीदारी को प्रदर्शित किया गया है। तालिका में विगत पाँच वित्तीय वर्ष के आँकडे संकलित किये गये हैं। आँकड़ों से पता चलता है कि मनरेगा में प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में महिलाओं की भागीदारी का राष्ट्रीय औसत 50

1: Corresponding Author

प्रतिशत से ऊपर है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का राष्ट्रीय औसत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 53.53 प्रतिशत थी जो 2018–19 में बढ़कर 54.59 प्रतिशत तथा 2019–20 में बढ़कर 54.78 हो गयी। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का यह प्रतिशत 2020–21 में घटकर 53.19 प्रतिशत हो गयी। पुनः चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक उपलब्ध आँकड़ों (09.11.2021 तक) के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बढ़कर 54.09 प्रतिशत हो गया जो गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के मुकाबले महज 0.90 प्रतिशत की वृद्धि है।

तालिका 1 : मनरेगा के अन्तर्गत विगत पाँच वित्तीय वर्ष में राज्यवार महिलाओं की भागीदारी

(आँकड़े प्रतिशत में)

राज्य	वित्तीय वर्ष				
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
अण्डमान एवं निकोबार	59.61	63.58	59.43	54.66	53.48
आन्ध्र प्रदेश	59.64	59.90	60.07	57.26	57.27
अरूणाचल प्रदेश	36.28	38.69	40.47	41.33	43.55
असम	38.51	41.08	41.77	44.08	46.31
बिहार	46.57	51.76	55.85	54.64	53.95
छत्तीसगढ़	49.71	50.05	50.70	50.49	49.92
गोवा	78.69	71.05	75.59	76.54	75.27
गुजरात	41.74	44.53	45.13	46.52	46.83
हरियाणा	48.64	50.05	50.59	48.80	51.35
हिमाचल प्रदेश	61.58	63.26	62.75	61.05	61.24
जम्मू एवं कश्मीर	28.07	29.98	32.93	31.67	30.16
झारखण्ड	37.33	39.22	41.31	42.55	44.84
कनार्टक	47.13	48.59	49.12	49.47	49.91
केरल	90.76	90.41	89.80	90.49	88.55
लद्दाख	00.00	00.00	60.65	61.46	62.57
लक्षद्वीप	20.16	37.42	11.39	14.23	00.00
मध्य प्रदेश	37.37	36.54	38.11	40.49	40.95
महाराष्ट्र	45.48	44.87	43.41	42.93	41.19
मणिपुर	44.82	47.41	48.99	52.03	51.73
मेघालय	46.80	50.15	50.51	51.37	48.48
मिजोरम	34.09	38.14	50.87	56.84	61.11
नागालैण्ड	28.75	31.56	35.63	36.31	37.92
उड़ीसा	41.86	41.99	43.30	44.70	46.13
पुडुचेरी	86.34	87.65	86.78	86.82	87.71
पंजाब	62.66	60.73	58.79	56.91	59.07
राजस्थान	65.34	66.07	67.33	65.68	65.67
सिक्किम	48.05	50.93	51.07	51.17	51.23
तमिलनाडु	85.68	85.40	86.30	85.37	84.99
तेलंगाना	61.46	62.80	61.50	58.05	57.92
त्रिपुरा	47.05	46.19	47.03	47.62	47.73
उत्तर प्रदेश	35.11	35.28	34.28	33.59	36.73
उत्तराखण्ड	54.47	55.15	56.62	55.13	54.38
पश्चिम बंगाल	47.59	48.12	47.86	45.20	45.83
कुल औसत (भारत)	53.53	54.59	54.78	53.19	54.09

(वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में लद्दाख तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में लक्षद्वीप राज्य के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।)

स्रोत : www.nrega.nic.in (वित्तीय वर्ष 2021–22 के आँकड़े दिनांक 09.11.2021 तक)

तालिका से पता चलता है कि तालिका में सूचीबद्ध 32 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में से कुल 18 राज्यों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (दिनांक 09.11.2021 तक) मनरेगा में प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि दर्ज की गई है जबकि 13 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में मामुली गिरावट दर्ज की गई हैं वहीं 1 राज्य लक्षद्वीप के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मौजूदा वित्तीय वर्ष में जिन 18 राज्यों में मनरेगा के अन्तर्गत प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि दर्ज की गई है, उनमें आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। वहीं यदि गिरावट दर्ज करने वालों राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की बात की जाय तो इनमें अण्डमान एवं निकोबार, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा उत्तराखण्ड शामिल हैं।

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में सबसे अधिक मेघालय में 2.89 प्रतिशत, केरल में 1.94 प्रतिशत, महाराष्ट्र 1.74 प्रतिशत, जम्मू एवं कश्मीर में 1.51 प्रतिशत, गोवा में 1.27 प्रतिशत तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1. 18 प्रतिशत गिरावट अब तक देखने को मिली है।

इसके अतिरिक्त बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा उत्तराखण्ड में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में मामुली गिरावट (1 प्रतिशत से कम) आयी है। वहीं यदि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों की बात की जाय तो सबसे अधिक वृद्धि मिजोरम में 4. 27 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 3.14 प्रतिशत, हरियाणा में 2.55 प्रतिशत, झारखण्ड में 2.29 प्रतिशत, असम में 2.23 प्रतिशत, अरूणाचल प्रदेश में 2.22 प्रतिशत, पंजाब में 2.16 प्रतिशत, नागालैण्ड में 1.61 प्रतिशत तथा उड़ीसा में 1.43 प्रतिशत अब तक दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में मामुली वृद्धि (1 प्रतिशत से कम) दर्ज की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष में एक दिन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक केरल में 88.55 प्रतिशत है। इसके बाद पुडुचेरी में 87. 71 प्रतिशत, तमिलनाडु में 84.99 प्रतिशत, गोवा में 75.27 प्रतिशत, राजस्थान में 65.67 प्रतिशत, लद्दाख में 62.57 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 61.24 प्रतिशत तथा मिजोरम में 61.11 प्रतिशत है। वहीं यदि एक दिन में महिलाओं की सबसे कम भागीदारी वाले राज्यों की बात की जाय तो सबसे कम जम्मू एवं कश्मीर में 30.16 प्रतिशत भागीदारी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 36.73 प्रतिशत, नागालैण्ड में 37.92 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 40.95 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 41.19 प्रतिशत की भागीदारी दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के आँकड़े उपलब्ध

न होने के कारण उसे वृद्धि या गिरावट वाले राज्यों के साथ नहीं रखा गया है।

तालिका 2 : मनरेगा के अन्तर्गत विगत पाँच वित्तीय वर्ष में राज्यवार महिलाओं की भागीदारी

(50 प्रतिशत से ऊपर महिला भागीदारी वाले राज्य)

वित्तीय वर्ष				
2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
अण्डमान एवं निकोबार	अण्डमान एवं निकोबार	अण्डमान एवं निकोबार	अण्डमान एवं निकोबार	अण्डमान एवं निकोबार
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
गोवा	गोवा	गोवा	गोवा	गोवा
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
केरल	केरल	केरल	केरल	केरल
पुडुचेरी	पुडुचेरी	पुडुचेरी	पुडुचेरी	पुडुचेरी
पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब	पंजाब
राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान
तमिलनाडु	तमिलनाडु	तमिलनाडु	तमिलनाडु	तमिलनाडु
तेलंगाना	तेलंगाना	तेलंगाना	तेलंगाना	तेलंगाना
उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड
	बिहार	बिहार	बिहार	बिहार
	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	हरियाणा
	हरियाणा	हरियाणा	मेघालय	मणिपुर
	मेघालय	मेघालय	मिजोरम	मिजोरम
	सिक्किम	सिक्किम	सिक्किम	सिक्किम
		मिजोरम	लद्दाख	लद्दाख
		लद्दाख		

स्रोत : उपर्युक्त वर्गीकरण तालिका 1 के आधार पर निर्मित किया गया है।

तालिका 2 के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 में 11, 2018—19 में 16, 2019—20 में 18 तथा 2020—21 एवं 2021—22 (दिनांक 09.11.2021 तक) में 17—17 राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में महिला सहभागिता 50 प्रतिशत से ऊपर रहा है। इन राज्यों में गोवा, केरल, पुडुचेरी तथा तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहाँ विगत पाँच वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों में महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत तीन चौथाई से भी ज्यादा रहा है (वित्तीय वर्ष 2018—19 में गोवा राज्य को छोड़कर जहाँ महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत तीन चौथाई से थोड़ा कम था) जो 33 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आवश्यकता से कहीं अधिक है।

तालिका 3 के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 में 17, 2018—19, 2019—20, 2020—21 तथा 2021—22 में 14—14 राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में महिला भागीदारी 33 से 50 प्रतिशत के बीच रहा है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य के मुकाबले कमजोर बनी हुई है जो 33 प्रतिशत की सांविधिक सीमा से थोड़ा ही ज्यादा है।

तालिका 3 : मनरेगा के अन्तर्गत विगत पाँच वित्तीय वर्ष में राज्यवार महिलाओं की भागीदारी

(33 से 50 प्रतिशत के बीच महिला भागीदारी वाले राज्य)

वित्तीय वर्ष				
2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश
असम	असम	असम	असम	असम
बिहार	गुजरात	गुजरात	गुजरात	छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़	झारखण्ड	झारखण्ड	हरियाणा	गुजरात
गुजरात	कर्नाटक	कर्नाटक	झारखण्ड	झारखण्ड
झारखण्ड	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	कर्नाटक	कर्नाटक
कर्नाटक	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश	मणिपुर	मणिपुर	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
महाराष्ट्र	मिजोरम	उड़ीसा	मणिपुर	मेघालय
मणिपुर	उड़ीसा	त्रिपुरा	उड़ीसा	उड़ीसा
मेघालय	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	त्रिपुरा	त्रिपुरा
मिजोरम	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
उड़ीसा	पश्चिम बंगाल	जम्मू एवं कश्मीर	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
सिक्किम	लक्षद्वीप	नागालैण्ड	नागालैण्ड	नागालैण्ड
त्रिपुरा				
उत्तर प्रदेश				
पश्चिम बंगाल				

स्रोत : उपर्युक्त वर्गीकरण तालिका 1 के आधार पर निर्मित किया गया है।

तालिका 4 के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 में 03, 2018—19 में 02, 2019—20 में 01, 2020—21 में 02 तथा 2021—22 में 01 राज्य में मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन काम करने वाले लोगों में महिला सहभागिता 33 प्रतिशत से कम रहा है।

तालिका 4: मनरेगा के अन्तर्गत विगत पाँच वित्तीय वर्ष में राज्यवार महिलाओं की भागीदारी

(33 प्रतिशत से कम महिला भागीदारी वाले राज्य)

वित्तीय वर्ष				
2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर	लक्षद्वीप	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर
लक्षद्वीप	नागालैण्ड		लक्षद्वीप	
नागालैण्ड				

स्रोत : उपर्युक्त वर्गीकरण तालिका 1 के आधार पर निर्मित किया गया है।

मनरेगा की योजना लागू होने के बाद पिछड़े एवं गरीब राज्यों में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने वाले लोगों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी परन्तु तालिका 1 से पता चलता है कि जिन राज्यों में अत्यधिक गरीबी है वहाँ पर मनरेगा के अन्तर्गत महिलायें कम भागीदारी कर रही हैं। जैसे जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहाँ महिलाओं की भागीदारी 33 से 50 प्रतिशत के बीच ही है।

विश्लेषण

महिलाओं की दृष्टि से अधिनियम के तहत लागू विभिन्न प्रावधानों और उसके दिशानिर्देशों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को रोजगार तक समान रूप से और आसानी से पहुँच हो सके, उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियाँ मिले, उन्हें पुरूषों के बराबर मजदूरी मिले और निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व हो सके। इस योजना में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी कार्य में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को जरूर लाभान्वित किया जाए। आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मनरेगा ने महिलाओं को बहुत लाभ पहुँचाया है। यह ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

मनरेगा योजना में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से निम्नलिखित लाभ देखने को मिल रहा है –

1. मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रावधान से बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने के कारण मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। घर के पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से वे भी आसानी से रोजगार पाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।

2. रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने से महिलाओं के आर्थिक स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है। पुरूष नगरों एवं शहरों में जाकर कार्य करने लगे हैं और महिलाएँ मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने हेतु गॉव में अपने घरों में रह रहीं हैं। फलस्वरूप परिवारों की आय में भी वृद्धि हुई है। योजना में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को पुरूषों के बराबर मजदूरी दी जायेगी। पहले महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती थी। मनरेगा में महिलाओं और पुरूषों को समान मजदूरी दिये जाने के प्रावधान से उनके वेतनमानों में भी लैंगिक समानता आयी है।

3. योजना के अन्तर्गत महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए पालने एवं छाया की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। यदि कार्यस्थल पर महिलाएं अपने साथ छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे लेकर आती हैं और उनकी संख्या पॉच या उससे अधिक है तो एक महिला को उन बच्चों की देखरेख में लगाने का प्रावधान किया गया है और उसे पूरी मजदूरी भी दी जायेगी। इस प्रावधान से ऐसी महिलायें काफी लाभान्वित हुई हैं जिनके बच्चे छः वर्ष से कम उम्र के हैं। इसका लाभ हुआ है कि महिलाएं कार्यस्थल पर अपने बच्चों की देखरेख के साथ ही रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं।

4. मनरेगा में कार्य स्थानीय स्तर पर मिलने के कारण महिलाओं को कार्य करने से सुरक्षा मिलती है जो उनके जीवन के रहन–सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में मदद करती है और दूसरे जगह पर जाकर कार्य करने से होने वाले खर्च, शोषण तथा जोखिम को कम करती है। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दिये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके कारण इस योजना में कार्य करने वाली महिलायें किसी अन्य कार्य के मुकाबले अधिक मजदूरी प्राप्त कर रही हैं। मनरेगा में अधिकतम 8 घंटे ही कार्य का प्रावधान किया गया है जिसके कारण ग्रामीण महिलायें इसे अपने लिए अधिक अनुकूल पाती हैं।

निष्कर्ष

मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी के आँकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं और पुरूषों को समान मजदूरी दिये जाने के प्रावधान से मनरेगा ने सरकारी क्षेत्र में व्याप्त परम्परागत वेतन विसंगतियों को समाप्त कर दिया है। ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से उन्हें अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं जिसके कारण उनके आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आयी है। आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं की पकड़ मजबूत हुई है। फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी बेहतर हुई है। परिवार के मामलों में महिलाओं की बात अधिक सुनी जाने लगी है। फलस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

निष्कर्षतः मनरेगा से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है।

REFERENCES

जगाणियां, डॉ0 आत्माराम (2009): हरियाणा के संदर्भ में नरेगा योजना का आकलन, *कुरूक्षेत्र,* जनवरी 2009, पृष्ठ 26–28

en.m.wikipedia.org/wiki/National_Rural_Employment_Guarantee_Act_2005

hi.m.wikipedia.org/महात्मा_गॉधी_ग्रामीण_रोजगारगारंटी_अधिनियम

अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2006): ग्रामीण भारत में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु संचालित प्रमुख नए विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2006 पृष्ठ 6–7, www.nrega.nic.in

गवर्नमेंट आफ इण्डिया (2005) नेशनल इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट न0 42 आफ 2005, गजेट आफ इण्डिया, एक्स्ट्रआर्डिनरी पार्ट 2 सेक्सन 1 न0 48, नई दिल्ली

अशोक, पंकज एण्ड रूक्मिणी ताखा (2010) इम्प्लायमेंट इफेक्टस आफ दी नरेगा आन वीमेन वर्कर्स : एस्टडी इन फोर स्टेट्स, *इकोनामिक पॉलिटिकल वीकली,* जुलाई 24, 2010, अंक **XLV** न0 **30** पृ 45

चौरसिया, धनजी (2011): रोजगार और स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएं, *कुरूक्षेत्र,* सितम्बर 2011 पेज 15–20,